उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल
जमानत आवेदन संख्या 2020 का 1682

सेवज ...आवेदक

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य ...उत्तरदाता

अधिवक्तागणः श्री बिलाल अहमद, आवेदक के अधिवक्ता
श्रीमती मीना बिष्ट, उत्तराखंड राज्य की ओर से ब्रीफ होल्डर

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का आवेदक, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394, 411 के अन्तर्गत अपराध कारित करने का अभियुक्त है, जो उसके विरूद्व थाना, कोतवाली मंगलौर, जिला हरिद्वार में अपराध संख्या 464 / 2018, के रूप में पंजीकृत है।

2. यद्यपि, प्रत्यक्षतः प्रस्तुत आवेदक के विरुद्ध जिन अपराधों में शिकायत की गयी है, उसकी प्रकृति मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य प्रतीत होती है परंतु, निश्चित रूप से, उक्त अपराध के किए जाने में संलिप्तता के लिए जमानत आवेदन का निर्धारण करते समय, जो प्रकृति में तुच्छ है, एक सामान्य मानदंड नही अपनाया जा सकता है, विशेष रूप से उन मामलों में, जहां आवेदक का उसके विरुद्ध बहुत बड़ा अंतरराज्यीय आपराधिक इतिहास है। उदाहरण के लिए, प्रस्तुत मामले में, आवेदक निम्नलिखित में एक अभियुक्त हैः–

(क) मुकदमा अपराध संख्या 78/2016 राज्य बनाम हसनूद तथा अन्य में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452,323,504,506 के अन्तर्गत अपराध में, जिसमें उसे अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन), देवबंद, सहारनपुर, यू0पी0 द्वारा दिनांक 04.09.2020 को जेल से रिहा करने का निर्देश दिया गया था।

(ख) आवेदक पुलिस थाना मंगलौर, जिला हरिद्वार, में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 646/2018 में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342,392,411 के अन्तर्गत अपराध कारित करने का भी अभियुक्त है, जिसमें उसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 279/2020 मे दिनांक 23.06.2020 को जमानत दी गयी है।

(ग) आवेदक पुलिस थाना झागरेडा, जिला हरिद्वार में पंजीकृत एफ0आई0आर0 संख्या 209/2018, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/411 के अपराध का अभियुक्त है। इस मामले में भी, आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थनापत्र, संख्या 280/2020 दाखिल किया गया था तिथा उसे इस न्यायालय की समन्वय बैंच द्वारा दिनांक 19.06. 2020 को उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

(घ) आवेदक पुलिस थाना झागरेडा, जिला हरिद्वार में पंजीकृत, एफ0आई0आर0 जो उसके विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या 29/2019 के रूप मे दर्ज है में, भारतीय दण्ड

संहिता की धारा 392,411 के अर्न्तगत अपराध को भी अभियुक्त है, जिसमें सेशन न्यायालय, हरिद्वार द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र ,संख्या 1965/2019 सावेज नाम राज्य और अन्य, में अपने आदेश दिनांकित 05.12.2019 से उसे 50,000/रू0 का प्रतिभूति बन्धपत्र निष्पादित करने पर जमानत प्रदान की गई।

(ड) आवेदक, कोतवाली मंगलौर जिला हरिद्वार मे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 678/2018 में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 के अर्न्तगत अपराध कारित करने का अभियुक्त है, जिसमें जिला व सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र, संख्या 830/2020 में अपने आदेश दिनांकित 12.08.2020 से उसे 40,000 /रू0 की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित करने पर जमानत प्रदान की गई।

(च) आवेदक पुलिस थाना झागरेडा, जिला हरिद्वार मे पंजीकृत, मुकदमा अपराध संख्या 257/2019 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 के अर्न्तगत अपराध कारित करने का अभियुकत है,जिसमें उसके द्वारा जिला व सेशन न्यायाधीश, जिला हरिद्वार में जमानत प्रार्थनापत्र, संख्या 1989/2019, सावेज बनाम राज्य दाखिल किया गया तथा विद्वान जिला एंव सेशन न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा अपने आदेश दिनांकित 10.12.2019 से उसे जमानत प्रदान की गई।

(छ) आवेदक उसके विरूद्व पुलिस थाना मंगलोर, जिला हरिद्वार में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 464 /2018 में भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394, 411 के अन्तर्गत अपराध का अभियुकत है। उक्त अपराध के लिये भी उसके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र, संख्या 843/2020 प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्वान जिला एंव सेशन न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.08.2020 को खारिज कर दिया गया था।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल जवाबी शपथ पत्र में, उनके द्वारा निम्नलिखित अन्य मामलो का विवरण दिया गया, जो आवेदक के विरूद्व दर्ज थे या जिसमें अभियुक्त का संलिप्त होना पाया गया। विवरण निम्न प्रकार है -

"क. मुकदमा अपराध संख्या, 652/2018 अन्तर्गत धारा 395 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर, उ0प्र0

ख. मुकदमा अपराध संख्या, 279 /2013 अन्तर्गत धारा 395 भारतीय दण्ड संहिता, थाना देवबन्द सहारनपुर, उ0प्र0

ग. मुकदमा अपराध संख्या, 18/19 अन्तर्गत धारा 395/411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना देवबन्द देहात, सहारनपुर, उ0प्र0

घ. मुकदमा अपराध संख्या, 253 /08 अन्तर्गत धारा 392/411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना झबरेडा, हरिद्वार

ड. मुकदमा अपराध संख्या, 9091 अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, थाना बंदगांव सहारनपुर, उ0प्र0

4. आवेदक की, उपरोक्त आपराधिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो अपराधों में आवेदक की लगातार संलिप्तता को दर्शाती है, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, जिसमें उसे जमानत दी गई है, जिसका विवरण आवेदक द्वारा स्वयं जमानत आवेदन में दिया गया है।

5. प्रस्तुत जमानत आवेदन के लिए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को संबोधित किया था और निम्नलिखित प्रभाव के बिन्दुओ पर बहस कर निष्कर्ष चाहा गया।

(क) उनका तर्क है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है।

(ख) उनके द्वारा तर्क दिया गया कि प्रस्तुत एफ0आई0आर0 मे अपराध कारित होने मे उनकी संलिप्तता होना मुकदमा अपराध संख्या 464/2018 के माध्यम से कहा गया है वह सह–अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए नाम के प्रकटीकरण पर है और चूंकि आवेदक की संलिप्तता का प्रकटीकरण, दंण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अर्न्तगत दर्ज बयान में पुलिस के सामने आया है, उस को साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत निहित प्रावधानों के दृष्टिगत संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उक्त बयान को आवेदक के खिलाफ अपराध के को स्थापित करने के लिए ग्रहय नहीं पढ़ा जा सकता है।

(ग) उनके द्वारा तर्क दिये गये कि प्रस्तुत अपराध में आवेदक की संलिप्तता, अपराध होने की तारीख के 13 महीने के बाद 31.07.2018 को, दर्शायी गयी है और इसलिए आवेदक की संलिप्तता के सम्बन्ध मे अभियोजन कथानक पर कोई विश्वसनीय निर्भरता नहीं रखी जा सकती है।

(घ) उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि आवेदक को अन्य अपराधों के लिए, जिनका विवरण ऊपर दिया गया है (इस आदेश का पैरा 2), जमानत दी गई थी, इसलिए वह इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपराधों के लिये भी जमानत का हकदार होगा।

(ड) उन्होने तर्क दिया कि चूंकि सभी अपराधों मे, जिनकी शिकायत एफ0आई0आर संख्या 464/2018 में की गयी है, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य है, इस न्यायालय द्वारा जमानत पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना है।

(च) उनके द्वारा तर्क दिये गये कि प्रस्तुत करता है कि चूंकि कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी और बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, जैसा कि दं.प्र.सं. की खंड 100(4) के अर्न्तगत प्रावधानित है, अपराध के कमीशन में आवेदक के विरूद्व कोई प्रत्यक्ष अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है।

(छ) अंत में, उनके द्वारा तर्क दिया गया कि, चूंकि आवेदक 21.08.2019 से जेल में है, इसलिए न्यायालय को आवेदक की जमानत याचिका पर विचार करते समय उस पर दया व्यक्त करनी चाहिए।

6. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए एक बहुत लंबे संबोधन के बाद, जब इस अदालत ने आवेदक को जमानत नहीं देने के लिए अपनी राय व्यक्त की, उन्होंने प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने के लिये समय मांगा, जो उन्हें इस न्यायालय द्वारा पारित

आदेश दिनांकित 15.06.2021 से पहले ही उन्हें दिया जा चुका था, और आज दिनांक तक कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है। प्रत्युतर दाखिल करने का अनुरोध, सर्वप्रथम, यह अधिकार के विषय के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, और दूसरा, जब आवेदक के वकील को पहले से ही एक अवसर प्रदान किया गया था और उसका लाभ नहीं उठाया गया था, उस स्थिति में, आवेदक के वकील को एक भारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी और उसे प्रारंभिक चरण में ही एक प्रार्थना करनी चाहिए थी, न कि सभी बिंदुओं पर गुण–दोष के आधार पर जमानत आवेदन को संबोधित करने के लिए न्यायालय के मूल्यवान समय को समाप्त करने के बाद, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। इसलिए, इस स्तर पर, तर्क की परिणति के बाद, यह न्यायालय प्रत्युत्तर शपथ पत्र प्रत्युतर करने के लिए समय देने से इनकार कर देता है।

7. अंत में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किये गये कि, प्रस्तुत जमानत आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय प्रत्येक तर्क की दृढ़ता से संबंधित निष्कर्ष को भी दर्ज कर सकता है, जिसका आवेदक द्वारा अपनी जमानत याचिका पर बल देते समय विस्तार किया गया है, अतः प्रत्येक पहलू पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जा रहा है।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया पहला तर्क यह था कि चूंकि उसका नाम 01.08.2018 को दर्ज प्राथमिकी में, दिनांक 31.07.2018 की घटना या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 और 411 के अर्न्तगत अपराध करने के संबंध में में परिलक्षित नहीं होता है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत अपराध करने में संलिप्त होने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, इस कारण से इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है कि, यदि प्राथमिकी के कथनो को ही विचार मे लिया जाये, तो अपराध करने का समय आधी रात 1:30 बजे है, अर्थात उस समय जब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394, 411 के तहत अज्ञात घुसपैठिये, जो लूट और डकैती करने के लिए व्यक्ति के आवास में घुस गया था, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को पहचानना या उसका पता लगाना व्यावहारिक रूप से असंभव है, जो अपराध करने में लगा हुआ है या संलिप्त है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक मामले में, प्राथमिकी में नाम का खुलासा, जहां इन परिस्थितियों में अपराध किए गए हैं, व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब अपराध करने वाला व्यक्ति पीड़ित को ज्ञात नहीं है, जिसके निवास में अपराध किया गया था, इसलिए, आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है। चूंकि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है, क्योंकि अधिवक्ता के अनुसार, अपराध में उसकी संलिप्तता संदिग्ध हो जाती है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

9. आवेदक के अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि आवेदक को सह–अभियुक्त

व्यक्तियों के बयान के आधार पर फंसाया गया है और यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के दृष्टिगत, अपराध को स्थापित करने के लिए पठनीय नहीं होगा। इस स्थिति में, साक्ष्य अधिनियम की खंड 25 को एक संदर्भित किया जाना आवश्यक हो जाता है, जो इस प्रकार हैः—

> ''25. पुलिस अधिकारी के समक्ष की गयी संस्वीकृति का साबित न किया जाना—किसी पुलिस अधिकारी से की गयी कोई भी संस्वीकृति, किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के विरूद्व साबित नहीं की जायेगी।''

10. यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 को ही ध्यान में रखा जाता है, तो भाषा अपने आप में यह प्रावधान करती है कि एक पुलिस अधिकारी के समक्ष की गयी ''स्वीकारोक्ति'' किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नही होगी। यहां दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनका उपयोग उक्त धारा में किया गया है। एक 'संस्वीकृति' ओर दूसरा 'अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित किया जाना'।

11. साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में इन दो शब्दों के उपयोग के निहितार्थ का अर्थ है कि यह केवल सह—अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा नाम का''प्रकटीकरण'' नहीं है, जो ''संस्वीकृति'' के निहितार्थ को आकर्षित करता है। सह—अभियुक्त द्वारा नाम का ''संस्वीकृति'' और ''खुलासा करना'' विधि के अर्न्तगत आत्यन्तिक रूप से एक अलग अर्थ रखते है, दूसरा, यह नहीं है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के निहितार्थों पर विचार करने के लिए आत्यन्तिक रूप से बाहर रखा गया है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की खंड 25 के बाद के भाग में कहा गया है कि एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए संस्वीकृति के संबंध में न्यायालय के समक्ष दर्ज बयान को पढ़ा जा सकता है, लेकिन यह एक साक्ष्य के अधीन होगा और साक्ष्य के प्रमाण द्वारा अपराध की स्थापना के अधीन होगा। इसका अर्थ यह है कि इसे विचारण के स्तर पर साबित करना होगा। अर्थात धारा 25 के कठोर निहितार्थ, पर दंण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अर्न्तगत, जमानत के विचार के लिए एक विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का आह्वान करते समय विचार नहीं किया जाना है।

12. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये कि कोई स्वतंत्र बरामदगी नहीं की गई है और इसलिए बरामदगी प्रक्रिया स्वयं दंण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100(4) के अर्न्तगत निहित प्रावधानों का उल्लंघन था। इस स्तर पर, दंण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100(4) को संदर्भित किया जा रहा हैः—

> ''4) इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने से पहले, अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो यह करने वाला है, उस स्थान के दो या दो से अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को, जिसमें तलाशी की जाने वाली जगह स्थित है, या किसी अन्य स्थान के निवासियों को, यदि उक्त स्थान का ऐसा कोई निवासी उपलब्ध नहीं है या तलाशी का साक्षी बनने के लिए इच्छुक नहीं है, तलाशी में उपस्थित होने और उसे देखने के लिए बुलाएगा और उन्हें या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकता है।''

13. दंण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100(4), शाब्दिक रूप से इसकी भाषा में और इसे सौंपा गये अर्थ में, जहां यह अपनाई जाने वाली आदेशिका पर विचार करता है, यह विशेष रूप से खोज या जब्त करने के उद्देश्यों के लिए था, यह प्रावधानित करता है कि, अधिकारी या अन्य व्यक्तियों को, दो या अधिक स्वतंत्र गवाहों या सम्मानित व्यक्तियों या इलाके के निवासियों को बुलाना चाहिए जहां से खोज और जब्ती की गई है। इस न्यायालय का विचार है कि बरामदगी करने के प्रयोजनों के लिए दो या दो से अधिक स्वतंत्र गवाहों या स्थानीय निवासियों को बुलाकर तलाशी और जब्ती का यह प्रक्रियात्मक निहितार्थ प्रत्येक मामले में पालन किया जाने वाला एक कठोर नियम नहीं हो सकता है, जहां बरामदगी एक विशिष्ट परिस्थितियों में की जाती है और वह भी तब, जब प्रस्तुत मामलें में, चोरी की गई वस्तुओं की आवेदक से बरामदगी का तथ्य आवेदक द्वारा विवादित नहीं किया गया है कि 31.07.2018 को किए गए अपराधों में चोरी की गई वस्तुएं, उससे और उसके कब्जे से बरामद की गई थीं, जैसा कि बरामदगी ज्ञापन दिनांक 02.09. 2019 मे दर्शित है।

14. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को अन्य मामलों में जमानत दी गई है, जो ऊपर वर्णित किए गए हैं, इसलिए वह प्रस्तुत मामले में भी जमानत का हकदार होगा, इस न्यायालय द्वारा इस कारण से स्वीकार्य नहीं है कि इस न्यायालय का विचार है कि इस तर्क को स्वीकार नहीं करने के लिए दो तार्किक कारण हैंः–

(क) प्रत्यक्षतः, सात मामलों में जमानत की मंजूरी, जो ऊपर वर्णित की गई है, अपने आप में आवेदक के मूल मनोविज्ञान को दर्शाती है कि वह बार–बार अपराध करने में संलग्न रहता है, और इसलिए, जमानत देने का अर्थ, उसे किसी अन्य अपराध को करने का एक और अवसर देने के बराबर होगा।

(ख) इसके अतिरिक्त, उसके विरूद्व दायर अन्य आपराधिक मामलों में जमानत की मंजूरी कभी भी न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाला एक मार्गदर्शक कारक नहीं होगा, जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर स्वतंत्र रूप से जमानत याचिका पर विचार करना होगा और अन्य अपराधों में जमानत की मंजूरी, का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क भी इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है।

15. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रस्तुत आवेदक के विरूद्व थाना कोतवाली जिला हरिद्वार में दर्ज भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394, 411 के अर्न्तगत अभिकथित अपराध, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि ये अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य हैं, लेकिन अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए न्यायालय के समक्ष समानता या समता के लिए बल देते समय, न्यायालय को जमानत आवेदन पर विचार करते समय, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य

अपराधों के लिए भी यह ध्यान रखना होगा कि इसके क्या सामाजिक निहितार्थ होंगे, विशेष रूप से, जब स्वीकृत रूप से आवेदक का ऐसे ग्यारह आपराधिक मामलों का बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। आपराधिक अपराधों में उसकी निरंतर संलिप्तता, स्वयं ही आवेदक के अधिवक्ता के इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि चूंकि अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य हैं, इसलिए उसे इन सिद्धांतों पर जमानत पर रिहा करने की आवश्यकता है कि जमानत सामान्य रूप से दी जानी चाहिए और जेल एक अपवाद के रूप में होनी चाहिए। इस तर्क को केवल उन मामलों में अपनाया जा सकता है, जहां आवेदक आपराधिक अपराध करने का आदतन अपराधी नहीं है।

16. अंत में, उनका निवेदन है कि इस न्यायालय द्वारा दया व्यक्त की जानी चाहिए। मेरा विचार है कि आवेदक की पिछली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, जिसमें वह अभिकथित करता है कि उसे पुलिस द्वारा अपराध करने में झूठा फंसाया गया है, इस न्यायालय का विचार है कि इस प्रकार के अभियुक्त व्यक्ति पर कोई दया नहीं की जा सकती है, जिसका अभिलेखों से स्वीकृत रूप से और स्पष्ट रूप से ग्यारह मामलों का आपराधिक इतिहास है, अतः मैं वर्तमान आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। तदनुसार, प्रस्तुत जमानत याचिका खारिज की जाएगी।

17. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा वर्तमान आवेदक की जमानत अस्वीकार करते समय जो भी अवलोकन किया गया है, विशेष रूप से जमानत आवेदन पर विचार करने के प्रयोजनों के लिए, वह केवल अस्थायी प्रकृति का है। यह विचारण को जिसे स्वतंत्र रूप से तय किया जाना है, पक्षपातपूर्ण नहीं करेगा।

(शरद कुमार शर्मा,जे.)
08.07.2021